

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 221/2024
उनवान

सुमार पुत्र मियल जाति
मुसलमान निवासी खारची
तहसील रामसर।

बनाम

2. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 27.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का खातेदारी

खेत खसरा संख्या क्रमशः 70 रकबा 0.5099, हेक्टैयर मौजा खारची पटवार मण्डल बबुगुलेरिया में आये हुआ है। जिसमें सयुंक्त खातेदारी में सुमार पुत्र मियल की जगह सुमार पुत्र साहेबना भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम सुमार पुत्र मियल जाति मुसलमान निवासी खारची करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 70 रकबा 0.5099, हेक्टैयर मौजा खारची पटवार मण्डल बबुगुलेरिया के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का सुमार पुत्र मियल जाति मुसलमान निवासी खारची नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।





अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/ 4011-12
प्रतिलिपि :-

दिनांक 27.12.2024

5. तहसीलदार रामसर।
6. प्रार्थी सुमार पुत्र मियल ।


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर